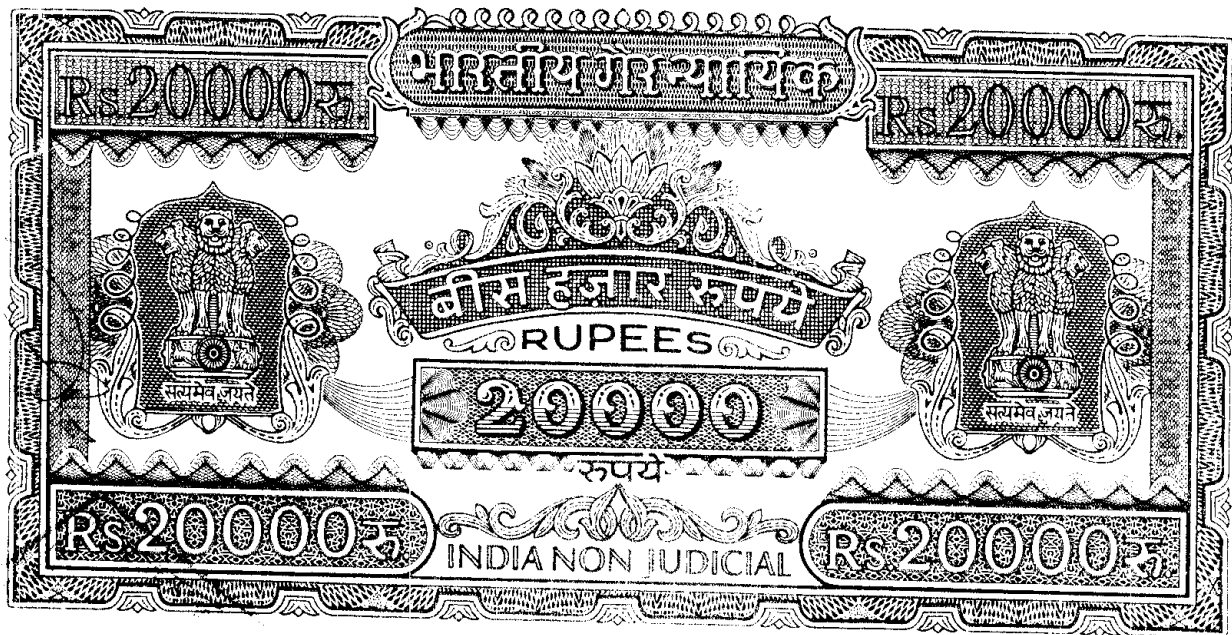




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01/12/2017

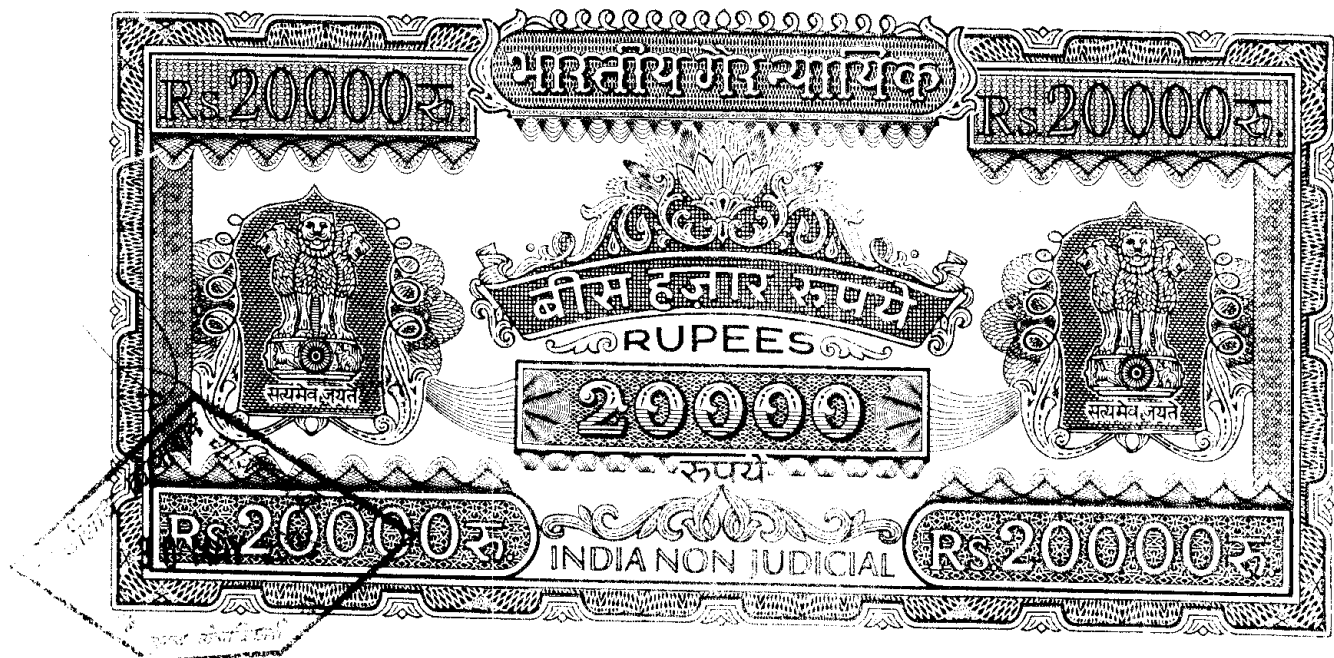
(18)

की तारीख में बदले अंकन - 49,30,625/- रुपये (उड़न्चास
लाख तीस हजार छः सौ पच्चीस रुपये मात्र) जिसके
आधे अंकन - 24,65,312.50 रुपये होते हैं, में हाथ द्वितीय
पक्ष कंता फर्म/कम्पनी उपरोक्त को विक्रय कर दी और कुल

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7
21
8.4



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11/11/20

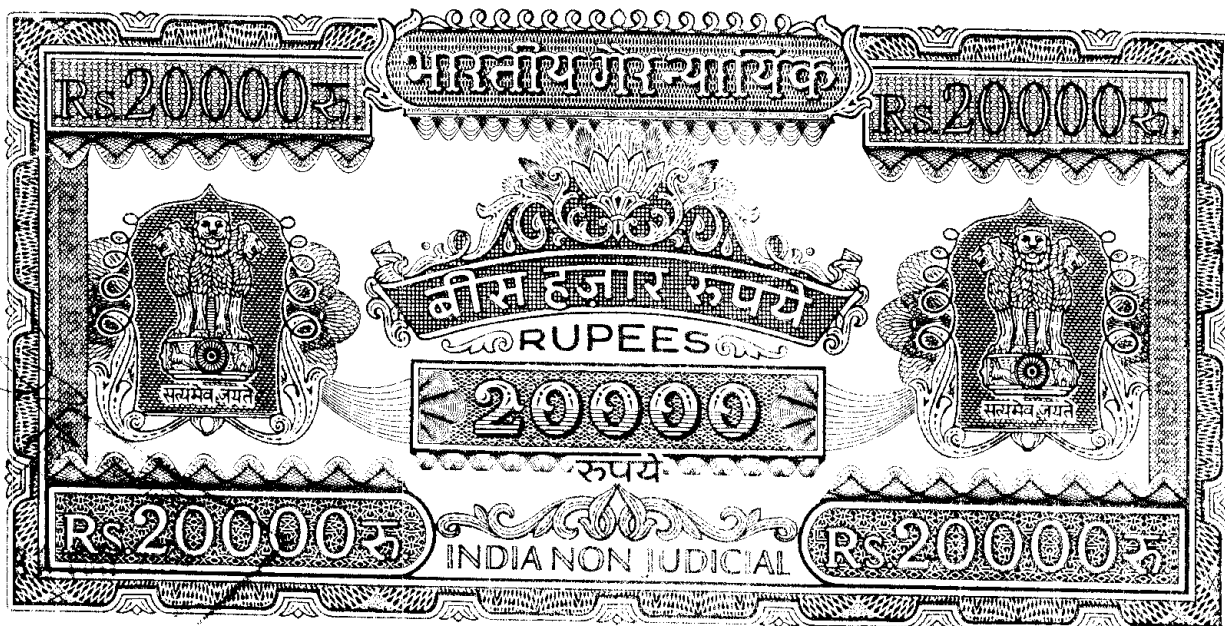
(19)

कीमत मुझ प्रथम पक्ष निष्पादक ने द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी से निम्न विवरणानुसार प्राप्त कर ली है। इस प्रकार बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है। विक्रय भूमि का वैनामा विक्रेता व केता के वर्णनानुसार लिखा गया है, अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक का अपना कोई कथन नहीं

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

206 (b6)
207



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(20)

है। भूमि की निर्धारित आवासीय दर 1,000/- प्रति वर्गमीटर है, स्टाम्प ड्यूटी वास्तविक पर नियमानुसार अदा की जा रही है। विक्रेता व केता ने पढकर, सुनकर व समझकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये है। अब इकरार यह कि उपरोक्त भूमि को मिलकियत उसके मूल्यधन तथा किसी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten notes:

10/6

10/7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

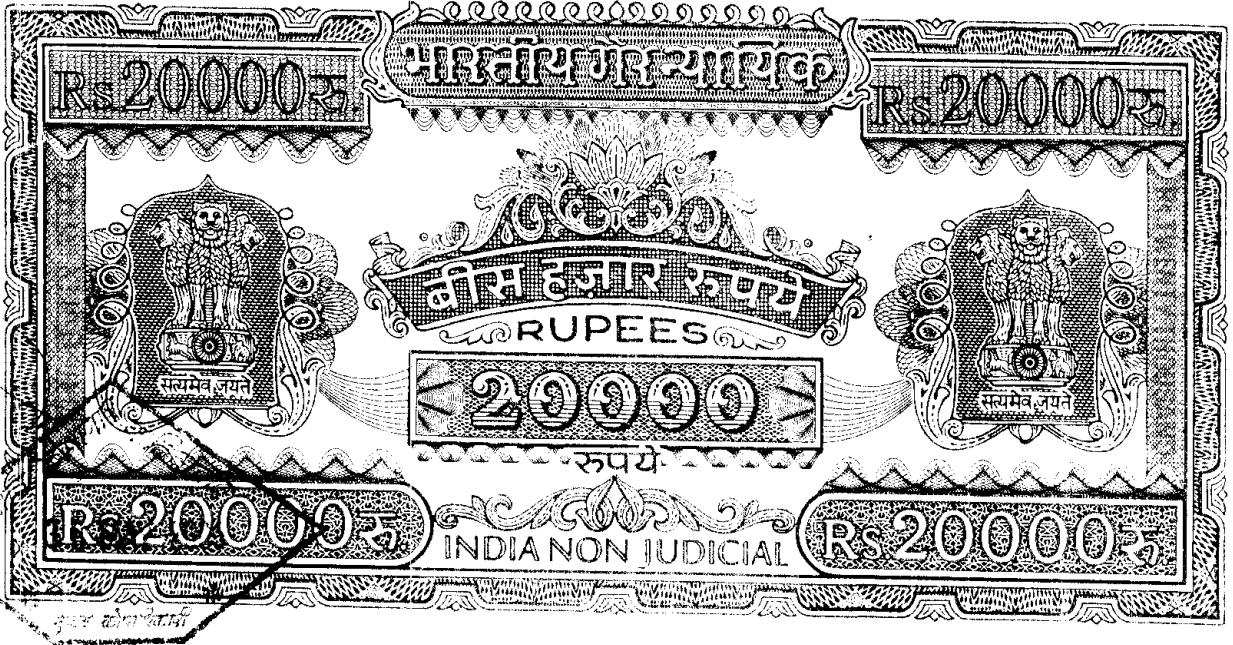
(21)

अंग से मुझ विक्रेता फर्म अथवा मेरे किसी भी वारिसान
अथवा प्रतिनिधि का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है, न
आइन्दा होगा। कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से
द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त का करा दिया है, अब
द्वितीय पक्ष फर्म/कम्पनी उपरोक्त भूमि के पूर्ण रूप से
मालिक काबिज हो गये है, जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5
~6 (b2
4.5 5.0h



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10/1/2011

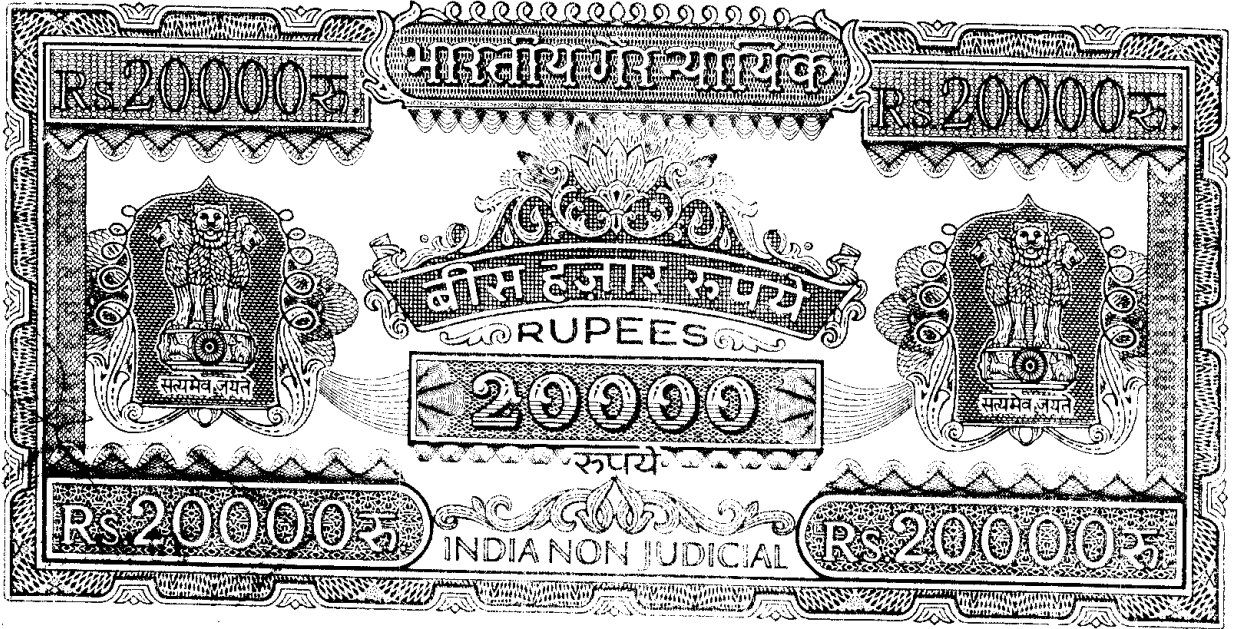
(22)

मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, स्वयं कृषि करे, अथवा किसी प्रकार का निर्माण अथवा कालोनी इत्यादि का निर्माण स्वयं अथवा किसी अन्य से कराये, किसी प्रकार का विक्रय पत्र आदि करे अथवा विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र करे, गरज यह कि उपर भूमि के विषय में जो मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष फर्म को प्राप्त थे, वे समस्त अधिकार

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
668
906



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

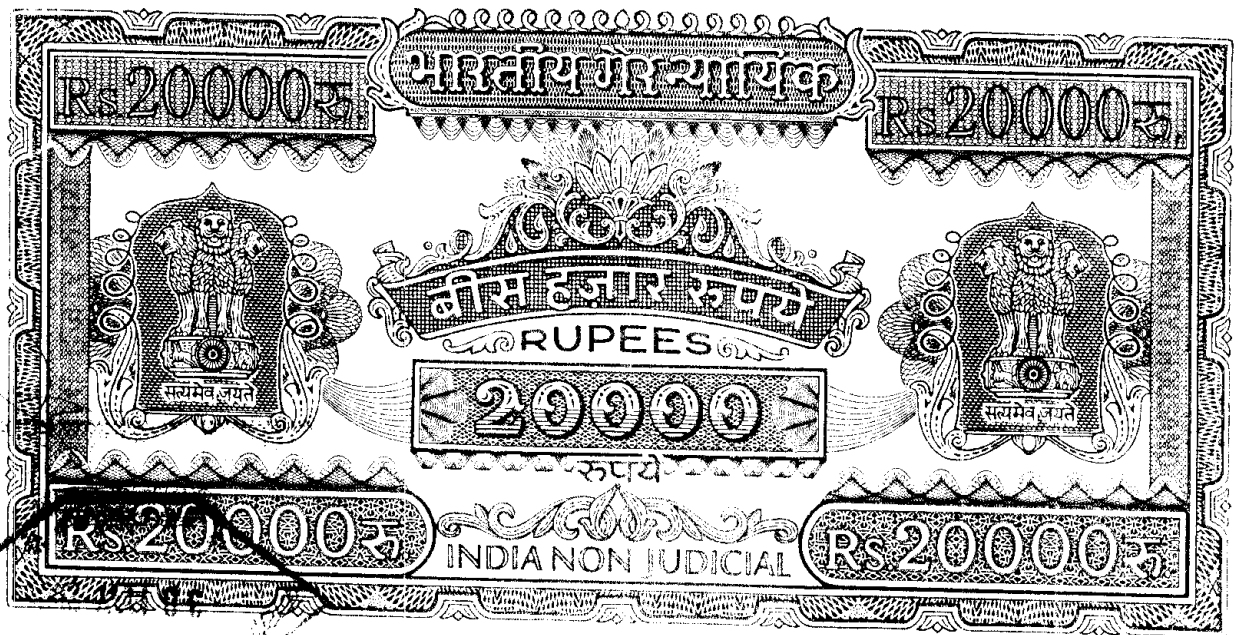
(23)

द्वितीय पक्ष केता फर्म/कम्पनी को प्राप्त हो गये है। समस्त राजपत्रों में द्वितीय पक्ष अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा ले, इस विक्रय पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष ने स्वयं वहन किया है, पक्षकारान के मध्य कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नहीं हुआ है। अब इकरार यह है कि अगर बावजह बेइस्तहकाकी विकेता फर्म

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
24
25



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(24)

के या बदावेदारी किसी सहीम व शरीक के विक्रय की जाने वाली भूमि कुल अथवा उसका कोई भाग कब्जे या अधिकार केता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर फर्म विक्रेता समस्त विक्रय धन की वापसी का मय हर्जे-खर्चे सूद कानूनी के हिसाब से जिम्मेदार रहेंगे। उपरोक्त भूमि के विषय में भू राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
(b)
2.5.17



45450

(25)

इस विक्रय पत्र से सम्बन्धित भूमि के रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी का दायित्व भूमि विक्रेतागण को होगा और इसके पश्चात समस्त निम्मेदारी केता कम्पनी की होगी।

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।



16 451

(26)

विवरण वसुलयाबी:-

अंकन 49,30,625/- रुपये द्वारा चैक नं० 786507
दिनांक 10-06-2006 जो इण्डियन ओवरसीज बैंक की
शाखा पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली के खाते से जारी
है, प्राप्त किये, इस प्रकार कुल धनराशि प्राप्त की तथा

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

→ 2/11/05

7

0.0000

7.0000

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

निदेशन के लिए शुक्राचार्य

$$1000 \text{ g} \times 0.25 \text{ g/g} + 1000 \text{ g} \times 0.001 \text{ g/g} = 250.1 \text{ g}$$

2000 3474

Chrysomelidae

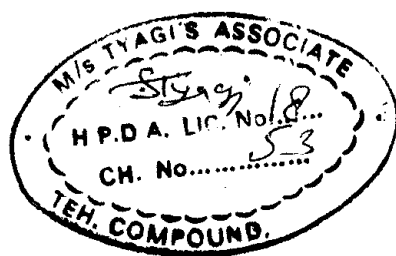
2746
2244 2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744

	2769			
	2972		2959	
2784		2758		2960
	2785		2757	2759
2780	2866	2782	2786	2756
	2865		2789	
	2864	2788		
	2863			

Partial stamp: S TYAGI'S A

[Handwritten signature]

27 02 97



11/11/11

11/11/11

11/11/11



(27)

कुछ भी शेष नहीं रहा है।

[Signature]

[Signature]

गवाह :- *[Handwritten text]*
[Handwritten text]

गवाह :- *[Handwritten text]*
[Handwritten text]



दिनांक: - 31-05-2006 मसौदा चौधरी बहापाल सिंह
 वीरभान, दस्तावेज लेखक, अनुज्ञा पत्र संख्या- 85/89,
 वैम्बर नं० 53, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।

[Handwritten signature]
 6/6/06

Handwritten:

2nd of Oct

7.30

1. In the light of.....

.....

22/11/15

to

.....

7025

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10/11/15

10/11/15

10/11/15

10/11/15

10/11/15

10/11/15

10/11/15